



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2012-14 के इंटरमीडिएट पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 40/2013

एतद् द्वारा सत्र 2012-14 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले सभी नियमित छात्र/छात्राओं, अंगीभूत/डिग्री/सम्बद्ध महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, इंटर महाविद्यालयों तथा परिषद् में स्थायी प्रसूचित हेतु अभ्यावेदित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य को सूचित करना है कि परिषद् द्वारा सत्र 2012-14 से इंटरमीडिएट के लिए पंजीयन OMR Sheet द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु OMR Sheet ग्यारहवीं परीक्षा के लिए दिए गए मांग पत्र के आधार पर संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची से दिनांक 09.07.2013 से प्राप्त किया जा सकेगा। **प्रत्येक OMR Sheet शुल्क (सूचीकरण प्रपत्र शुल्क) ₹70/- निर्धारित है, ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय से शुल्क जमा कर वांछित संख्या में यथानिर्धारित परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लें।**

विहित शुल्क के साथ भरा हुआ पंजीयन आवेदन पत्र संथाल परगना प्रमण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में, पलामू प्रमण्डल का प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में एवं शेष प्रमण्डलों को परिषद् कार्यालय राँची में जमा करने की निर्धारित तिथि निम्न प्रकार से है-

प्रमण्डल का नाम	विलम्ब शुल्क रहित	विलम्ब शुल्क सहित
दक्षिणी छोटानागपुर	26.07.2013	09.08.2013
उत्तरी छोटानागपुर	26.07.2013	09.08.2013
पलामू प्रमण्डल	26.07.2013	09.08.2013
कोल्हान प्रमण्डल	26.07.2013	09.08.2013
संथाल परगना प्रमण्डल	26.07.2013	09.08.2013

शुल्क की राशि

1. सूचीकरण शुल्क - ₹175/-
2. आब्रजन शुल्क - ₹110/-
3. आब्रजन विलम्ब शुल्क- ₹200/-
4. सूचीकरण विलम्ब शुल्क - ₹250/-
5. अनुमति शुल्क- ₹500/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)
6. अनुमति विलम्ब शुल्क - ₹250/- (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के लिए)

उपर्युक्त कोटि के सभी महाविद्यालयों (स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों को छोड़कर) की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹175/- भुगतान नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।

- * सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड" राँची के नाम से देय एवं राँची में भुगतान, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड" दुमका के नाम से देय एवं दुमका में भुगतान तथा पलामू प्रमण्डल के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फंड" डाल्टेनगंज के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतान होगा।
- * सभी छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि पंजीयन आवेदन पत्र में विषय का सही चयन पाठ्यक्रम के आलोक में करें, जो विषय आवेदन पत्र में अंकित रहेंगे वही विषय परीक्षा आवेदन पत्र में भी भरे जाएंगे। गलत विषयों का चयन किए जाने पर सारी जवाबदेही महाविद्यालय के छात्रों/प्राचार्यों की होगी।
- * उपर्युक्त कोटि के महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक का नामांकन कोई महाविद्यालय बिना परिषद् की अनुमति के नहीं कर सकता है। मान लिया जाए कि निर्धारित सीटों की संख्या पूरी हो चुकी है उनमें से कुछ छात्र स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेकर बाहर चले जाते हैं तो उन रिक्त सीटों पर भी नामांकन के लिए परिषद् की अनुमति अनिवार्य है।
- * जिन महाविद्यालयों को स्थापना अनुज्ञा हेतु अनुमति पत्र परिषद् द्वारा प्राप्त है, वे ही पंजीयन प्रपत्र जमा करेंगे। साथ ही परिषद् द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति भी अवश्य संलग्न करेंगे।
- * सभी महाविद्यालयों/ +2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित करते समय ध्यान देंगे कि जिन छात्र/छात्राओं का आब्रजन प्रमाण पत्र जमा करना है पंजीयन के साथ संलग्न किया गया है। अगर पंजीयन प्रपत्र में आब्रजन प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन प्रपत्र अग्रसारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा छात्र का पंजीयन प्रपत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
- * सभी कोटि के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क जो विज्ञापित में दी गई है, के अनुसार ही शुल्क की राशि परिषद् में जमा करेंगे।
- * निर्धारित तिथि के उपरान्त पंजीयन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- * प्राचार्यों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि OMR Sheet पर सूचनायें संधारित करने के पूर्व उसकी एक छायाप्रति कराकर पहले अभ्यास करें लें ताकि त्रुटि की सम्भावना न हो क्योंकि अतिरिक्त OMR Sheet के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा जिसके लिए परिषद् जिम्मेवार नहीं होगी।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(सुशील कुमार राय)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञापित/4290/10/SECY/334/13

Dt. 06.07.2013

D.O.P : 07.07.2013